



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072026-274248
CG-DL-E-08072026-274248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3501]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948

No. 3501]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026

का.आ. 3662(अ).—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, खान मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, निगमित कार्यालय, कोलकाता, जिसके 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-16013/1/2022-हिंदी]

फरीदा एम. नाईक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2026

S.O. 3662(E).—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies Hindustan Copper Limited, Corporate Office, Kolkata, a Public Sector Undertaking of the Ministry of Mines more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi.

[F. No. E-16013/1/2022-Hindi]

FARIDA M. NAIK, Jt. Secy.